(12)

educational qualifications prescribed for these posts will also be eligible for such posts provided that such courses or qualifications are duly approved and recognised as equivalent by any Central or State authority like the All India Council for Technical Education (AICTE).

Note 2. In case of personnel recruited through deputation or contractual basis from any source, the age of induction to National Disaster Response Force (NDRF) Battalions shall not be exceeding 45 years as on the closing date of receipt of application.

Note 3. In case of problem faced in filling the posts by the department by deputation, efforts will be made to employ or engage the eligible personnel on contractual basis either to take care of full time or part time requirement during the period of disaster.

Note 4. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 5. The candidates should be medically fit and in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

Note 6. The regular service of the officials rendered prior to 1.1.2006 will be taken into consideration.

(13)	(14)
Not applicable. However, deputation will be made after the approval of Directorate General of National Disaster Response Force on the recommendation of Selection/Screening Committee consisting of; 1. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force --- Chairman 2. Commandant, National Disaster Response Force --- Member 3. Deputy Commandant National Disaster Response Force --- Member 4. Chairman of the Committee may associate Technical/Communication Officer as additional Member.	Not applicable.

[F. No. 31-23/2007-NDM-II(SO)]

V. VISWANAATHAN, Under Secy. (NDRF)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किन्ही उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड कांस्टेबल	हैड कांस्टेबल= 14* (i) बढ़ई-2 (ii) वैल्डर-4 (iii) नलसाज-4 (iv) राजमिस्त्री-4 (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-I (5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के वेतन ग्रेड की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (iii) जिनके पास अर्हक प्रवीणता परीक्षण के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण 1** : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । **टिप्पण 2** : बचाव कार्य में भिन्न-भिन्न अनुभव, दीवार या लोहा जाली काटने, ढह गए या ध्वस्त भवन या मलबा या भूस्खलन आदि से जीवित या मृत मानव शरीरों को निकालने के लिए सुरक्षित सुराख करने के व्यवसाय में मान्यताप्राप्त संस्थानों से प्रमाणपत्र या डिप्लोमा वालों को अधिमानता दी जाएगी । **टिप्पण 3** : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4** : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कर्मियों को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । **टिप्पण 5** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 6** : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो । **टिप्पण 7** : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(91)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :– 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल, रेडियो आपरेटर	62*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रोनिक्स में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाण-पत्र है। **टिप्पण 1 :** ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो उन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, **परंतु** यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे

(12)

किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो ।

टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कर्मियों को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 5 : अभ्यर्थी का चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो ।

टिप्पण 6 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :– 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी/ संचार अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हैड कांस्टेबल, (गुप्त)	02* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रोनिक्स में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाण-पत्र है । टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब तक जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कार्मियों को नियोजित या नियुक्ति करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 5 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो । टिप्पण 6 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :—

1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष
2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य
3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य
4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी/संचार अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा। —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल, (आर एफ/आर टी)	02*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से इंजन फिटर या डीजल मैकेनिक या मोटर गाड़ी या मोटर या आउट बोर्ड मोटर मैकेनिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाण-पत्र है। टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे

(11)	(12)
	पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कर्मियों को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 5 : अभ्यर्थी को चिकित्सकः दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो । टिप्पण 6 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता । तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :– 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी/ संचार अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा । —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. हैड कांस्टेबल, (नर्सिंग/ सेविका)	103*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गोधक)	वेतन बैंड-I (5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी सेना या केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों या मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थाओं से अर्हित नर्सिंग या सहायक सेविका पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र है । **टिप्पण 1 :** ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । **टिप्पण 2 :** किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग सेविका) के पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र नर्स/सहायक नर्सिंग प्रसूति विद्या को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । **टिप्पण 4 :** किन्हीं अन्य कारणों से केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग सेविका) की अनुपलब्धता की दशा में सेना/केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों से मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थाओं से नर्सिंग/सहायक नर्सिंग सेविका में प्रशिक्षित और अर्हित तथा व्यवसाय में प्रशिक्षित और अर्हित तथा व्यवसाय में पिछले आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले कांस्टेबलों पर भी स्थिति में सुधार होने तक रिक्तियों को भरे जाने के लिए विचार किया जा सकेगा । **टिप्पण 5 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 6 :** अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो । **टिप्पण 7 :** 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :–

1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष
2. उप कमांडेंट/सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. हैड कांस्टेबल, (पैरामेडिक्स)	90*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास किसी सेना या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थाओं से अर्हित नर्सिंग सहायक/उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र है ।

टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हों ।

टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

टिप्पण 3 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक्स) के पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा को ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कांस्टेबल (पैरामेडिक्स) को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

टिप्पण 4 : किन्हीं अन्य कारणों से केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक्स) की अनुपलब्धता की दशा में सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थाओं से पैरामेडिक्स में प्रशिक्षित और अर्हित तथा व्यवसाय में प्रशिक्षित और अर्हित तथा व्यवसाय में पिछले आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले कांस्टेबलों पर भी स्थिति में सुधार होने तक रिक्तियों को भरे जाने के लिए विचार किया जा सकेगा ।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 6 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो ।

टिप्पण 7 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता । तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :— 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट/सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हैड कांस्टेबल (तकनीशियन)	108*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास किसी सेना या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या मान्यताप्राप्त संस्थान से लुहार, राजमिस्त्री, फिटर, यांत्रिक, वाद्यसंगीत शास्त्र या मोटर या इंजन मैकेनिक्स जैसे व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र है या जिनके पास अर्हक प्रवीणता परीक्षण के अधीन रहते हुए किसी ख्यातिप्राप्त फर्म में क्रमश: व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हों।

टिप्पण 2 : ऐसे कार्मिक जिनके पास अर्हताएं हैं और जिन्होंने हैड कांस्टेबल (तकनीकी) के पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य के रूप में सेना द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया किया है, भी ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे यदि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं सम्यक् रूप से किसी केंद्रीय या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हों।

टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्तियों को सम्यक् विचार और अधिमान दिया जाएगा जिनके पास बचाव कार्य, दीवार/लोहा जाली काटने, ढह गए या ध्वस्त भवन या मलवा या भू-स्खलन आदि से जीवित या मृत मानव शरीरों को निकालने के लिए सुरक्षित सुराख करने का भिन्न-भिन्न अनुभव है या सिविल या संरचनात्मक इंजीनियरी का कुछ अनुभव है।

टिप्पण 4 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कांस्टेबल (पैरामेडिक्स) को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 7 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो।

(12)
टिप्पण 8 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता । तथापि प्रतिनियुक्ति, चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :— 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. हैड कांस्टेबल, (विद्युत मिस्त्री/विद्युत)	108*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (iii) अर्हक प्रवीणता परीक्षण के अधीन रहते हुए । टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो ।

(12)

टिप्पण 2 : मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण या समतुल्य और व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव चाहिए, व्यवसाय में मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र/डिप्लोमा वालों को अधिमानता दी जाएगी ।

टिप्पण 3 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कर्मियों को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 6 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो ।

टिप्पण 7 : 1-1-2006 से पूर्व नियमित की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा ।

(13)	(14)
लागू नहीं होता । तथापि, प्रतिनियुक्ति चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :— 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. कांस्टेबल	कांस्टेबल=30* (i) बढ़ई-4 (ii) वैल्डर-4 (iii) नलसाज-8 (iv) राजमिस्त्री-8 (v) मोची-2 (vi) दर्जी-2 (vii) रंगसाज-2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।					

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनके पास अर्हक प्रवीणता परीक्षण के अधीन रहते हुए उस व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव है । टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यक् रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । टिप्पण 2 : मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण के साथ बचाव कार्य में भिन्न-भिन्न अनुभव, दीवार/लोहा नाली काटने, ढह गए या ध्वस्त भवन या मलबा या भू-स्खलन आदि से जीवित या मृत मानव शरीरों को निकालने के लिए सुरक्षित सुराख करने के व्यवसाय में मान्यताप्राप्त संस्थानों से प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा वालों को अधिमानता दी जाएगी । टिप्पण 3 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन में प्रवेश की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 4 : विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र कर्मियों को नियोजित या नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

टिप्पण 6 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट्या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की संभावना हो।

टिप्पण 7 : 1-1-2006 से पूर्व की गई पदधारियों की नियमित सेवा पर विचार किया जाएगा।

(13)	(14)
लागू नहीं होता। तथापि, प्रतिनियुक्ति चयन/छानबीन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी :— 1. कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल —सदस्य 4. समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक तकनीकी अधिकारी को सहयुक्त कर सकेगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 31-23/2007-एन.डी.एम.-II]

वी. विश्वनाथन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 read with Rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Technical posts in the National Disaster Response Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Disaster Response Force, Technical Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay scale.**—The number of said posts, their classification and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, -

(a) having entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.